बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार
विकास भवन, पटना–15

सहायक आयुक्त/अधीक्षक मद्यनिषेध के पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का संविदा आधारित अल्पकालीन नियोजन सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–17.05.2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त मद्यनिषेध एवं अधीक्षक मद्यनिषेध के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन हेतु पद विशेष से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से निम्नांकित शर्त्तों पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध के पद पर संविदा के आधार पर चयन नियोजन की तिथि से एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होगी।
2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संताषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. सामन्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दि0–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे।
5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा, जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।
6. आवेदन के साथः–
   i. आवेदक द्वारा अपनी सेवा के अंतिम पांच वर्षो का वार्षिक गोपनीय अभयुक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हों) समर्पित करेंगे।
   ii. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा किः–
   (क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
   (ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
   (ग) कभी किसी मामले में उन्हें दंडित नही किया गया है।
   (घ) उनके विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
7. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।
9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दि0–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जायेगा।
10. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी0पी0ओ0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. संविदा पर नियोजन के किसी भी स्तर पर नियोजित किये जाने वाले पदों की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्त्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।
12. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध अपना पूर्ण विवरण विहित आवेदन प्रपत्र (संलग्न) में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि–**07.02.2023** (अपराह्न 5 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

30/01/23

(निरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\LENOVO\Desktop\Sup ACE sanvida.docx

अद्यतन रंगीन
स्व–अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटों चिपकायें।

संविदा आधारित सहायक आयुक्त/अधीक्षक मद्यनिषेध के पद पर नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1	सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नामः–	
2	पदनाम, जिससे सेवानिवृत्त हुए हों:–	
3	अभ्यर्थी के पिता/पति का नामः–	
4	जन्म तिथिः–	
5	वर्त्तमान पताः–	
6	स्थायी पताः–	
7	नियुक्ति तिथिः– (नियुक्ति तिथि को पदनाम)	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पी0पी0ओ0 नं0– (पी0पी0ओ0 की छायाप्रति के साथ)	
9	कार्यालय का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ हैः–	
10	सेवा के अंतिम पाँच वर्षों का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति (यदि संलग्न हैं तो वर्ष)	
11	कार्यानुभव की अवधिः–	
12	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लम्बित है या नहीं से संबंधित शपथ–पत्र	
13	सेवाकाल में यदि कोई दण्ड मिला हो तो उसका विवरणः–	
14	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति सहित)	

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः–.................................

मोबाईल नंबर–

स्थानः–.................................

C:\Users\LENOVO\Desktop\Sup ACE sanvida.docx